झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 3945/2023

---

1. रेशमा कैसर उम्र लगाकर 30 वर्ष पत्नी मोहम्मद सादिर हुसैन निवासी बड़ी मस्जिद के दक्षिण ग्राम हम्जापुर।
2. सुमन देवी उर्फ सुमति कुमारी और उम्र करीब 41 वर्ष पत्नी सिंधु सिंह। निवासी चित्र खुर्द पत्रालय तथा थाना किताब खुर्द गया बिहार।
3. मनीष कुमार उम्र लगभग 37 वर्ष पत्र स्वर्गीय जयप्रकाश सिंहउर्फ अखिलेश कुमार उर्फ अखिलेश शर्मा निवासी किताब खुर्दा , एमथाना कांडसी किताब कोड , जिला गया बिहार।
4. जावरा बैंक उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र गंडवा बैक निवासी तिगरा पत्रालय तिघरा थाना राजु जिला रांची 835222 झारखंड
5. कामदेव महतो उम्र करीब 37 वर्ष पिता रघुराम महतोलक्ष्मी एनक्लेव हिनू। निवासी बड़ा अमड़ा पत्रालय थाना खरसावां उदल खान , जिला सरायकेला खरसावां झारखंड।
6. विकास कुमार उम्र लगभग 40 वर्ष पिता प्रभुपति नाथ सिंह निवासी - इन्दिरा पथ, शुक्ला कोलोनी, लक्ष्मी एन्क्लेव, हिनू, थाना- डोरंडा, राँची 834002
7. रंजीत कुमार उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र साधु शरण सिंह निवासी लंगतपुर पत्रालय थाना टिकरी, जिला गया बिहार 824236
8. संजय वर्मा उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बजरंग वर्मा निवासी करम टोली , मोराबाड़ी रोड, रांची, यूनिवर्सिटी थाना बरियातू रांची झारखंड।
9. मोहम्मद फिरदोस उर्फ मोहम्मद फिरदौसी उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी बाजार एवं थाना कांके जिला रांची झारखंड।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए : शदाब इकबाल, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री पंकज कुमार, लोक अभियोजक

<u>वर्तमान माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी</u>

1. दोनो पक्षो को सुना।

2. यह आपराधिक विधि याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 48 2 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए तैयार की गई है। जिसमे दुमका (टी) थाना कांड संख्या 46/2016 के सम्बन्ध मे जीआर संख्या 250/2016 के सम्बन्ध मे दिनांक 06.07.2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गयी है, जो भादवि कि धारा 406, 419, 420, 467, 468, 120बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत है जिसके जिसके द्वारा विद्वान मुख्य न्या0 दंडाधिकारी दुमका ने दप्रस 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है। इस मामले की अ भियुक्तो जो अन्य बातों के साथ-साथ इस आपराधिक विविध याचिका के याचिकाकर्ता भी हैं, के लिए समय और स्थान निश्चित किए बिना, यह आपराधिक विविध याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि दप्रस की धारा 82 के तहत उद्घोषणा 06 जुलाई 2023 के आदेश के माध्यम से विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और याचिकाकर्ताओं के आत्मसमर्पण के लिए समय और स्थान तय किए बिना जारी की गई है। इसलिए यह दलील दी जाती है कि जी आर संख्या 250 /2016 के अनुरूप दुमका (टी) थाना कांड संख्या 46/2016 के संबंध में विद्वान मुख्य न्या यिक दंडाधिकारी, दुमका द्वारा पारित दिनांक 06 जुलाई 2023 का आदेश कानून के अनुसार नहीं होने के कारण विखंडित किया जाए और उसे अपास्त किया जाय।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने जी आर संख्या 250/2016 के अनुरूप दुमका (टी) थाना कांड संख्या 46/2016 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , दुमका द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2023 को पारित आदेश को विखंडित करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आदेश से ही यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों को 30 दिनों की अवधि के भीतर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , दुमका की अदालत में उपस्थित होना था , इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आदेश में कोई और अवैधानिकता नहीं है इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जानी चाहिए।

5. बाद में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अब तक यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अदालत जो दप्रस की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करती है , उसे अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि अभियुक्त इसके संबंध में दप्रस की धारा 83 के तहत घोषणा की गई है, वह फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है और यदि अदालत दप्रस की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का विनिश्चय करती है , तो उसे याचिकाकर्ता की उपस्थिति के समय और स्थान का उल्लेख उस आदेश में ही करना चाहिए जिसके द्वारा दप्रस धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है , चुकी विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दुमका ने ना तो इस बात पर अपनी संतुष्टि दर्ज की है की याचिकाकर्ता फरार है या गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहे हैं और ना ही याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति के लिए कोई समय या स्थान तय किया गया है, इसलिए इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकीचाहट नहीं है कि विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , दुमका ने कानून की अनिवार्य

आवश्यकताओं का पालन किए बिना दप्रस धारा 82 के तहत उक्त घोषणा निर्गत करते हुए अवैधानिकता की है। इसलिए यह कानून में टि कने योग्य नहीं है और इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है , जहां दुमका (टी) थाना कांड संख्या 46/2016 के संबंध जी आर संख्या 250 /2016 के अनुरूप विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , दुमका द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2023 को पारित आदेश को विखंडित किया जाना चाहिये और अपास्त किया जाना चाहिये।

6. तदनुसार, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , दुमका द्वारा दुमका (टी) थाना कांड संख्या 46/2016 तदनुरुप जी आर संख्या 250 /2016 मे पारित आदेश दिनांक 06 जुलाई, 2023 को विखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

7. विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दुमका कानुन के अनुसार एक नया आदेश पारित कर सकते है।

8. इस आपराधिक विविध याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे0)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 18 मार्च, 2024
स्मिता/ एएफ आर

यह अनुवाद **किरण शंकर मिश्र**, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।